

# Rashtriya Sanskrit Sansthan

Deemed University

(Established under the Auspices of the Ministry of H.R.D., Govt. of India)

56-57, Institutional Area,

Janakpuri, New Delhi:-110058.

Accredited by NAAC with 'A' Grade

## Guidelines for award of Scholarship to students of Sanskrit Pathashalas/Mahavidyalayas/ Secondary/Higher Secondary Schools/Colleges/Universities during the year-2018-19 under the scheme for Development of Sanskrit Education.

Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University), New Delhi established under the auspices of the Ministry of Human Resource Development, Government of India, invites on-line application in the prescribed form for award of merit Scholarship to:-

- (i) The regular students who have passed the previous examination with Sanskrit/Pali/Prakrit as a compulsory/optional subject during the academic session 2017-2018 and pursuing Sanskrit/Pali/Prakrit as a main or optional subject in any recognized Sanskrit Pathashala/Sanskrit Mahavidyalaya/ Sanskrit Vishwavidyalaya in Traditional Stream or School/College/University in Modern Stream pursuing Purva-Madhyama(1<sup>st</sup> year)/9<sup>th</sup> standard, Purva-Madhyama(2<sup>nd</sup> year)/10<sup>th</sup> standard, Uttar-Madhyama/Prakshastri(1<sup>st</sup> year)/11<sup>th</sup> standard, Uttar-Madhyama/Prakshastri(2<sup>nd</sup> year)/12<sup>th</sup> standard, Shastri/ B.A (1<sup>st</sup>/2<sup>nd</sup>/3<sup>rd</sup> year), Acharya/M.A.(1<sup>st</sup>/2<sup>nd</sup> year) or Vidyawaridhi/Ph.D. or equivalent.

- (ii) Eligibility criteria for scholarship is as following :-

S. No.	Courses of study for which Scholarship is given	Eligibility Criteria	Scholarship amount
1.	Class 9 <sup>th</sup> and 10 <sup>th</sup> standard/Purva-Madhyama or equivalent courses with Sanskrit/Pali/Prakrit as a paper of at-least 100 marks.	Must have passed the previous examination (i.e. 8 <sup>th</sup> class for eligibility to 9 <sup>th</sup> class and 9 <sup>th</sup> class for eligibility to 10 <sup>th</sup> class) of the respective class with a minimum of 60% marks or equal grade in overall and 60% marks or equal grade in Sanskrit/Pali/Prakrit. The students should have opted Sanskrit/Pali/Prakrit also in the current class.	Rs.250/- p.m. for 10 months
2.	Class 11 <sup>th</sup> and 12 <sup>th</sup> standard/Prakshastri/Uttarmadhyama or equivalent courses with Sanskrit/Pali/ Prakrit as a paper of at-least 100 marks.	Must have passed the previous examination (i.e. 10 <sup>th</sup> class for eligibility to 11 <sup>th</sup> class and 11 <sup>th</sup> class for eligibility to 12 <sup>th</sup> class) of the respective class with a minimum of 60% marks or equal grade in overall and 60% marks or equal grade in Sanskrit/Pali/ Prakrit. The students should have opted the Sanskrit/Pali/Prakrit also in the current class.	Rs.300/- p.m. for 10 months
3.	Shastri/Graduaton/B.A./B.A.(Hons.) or equivalent course of three years duration with Sanskrit/Pali/Prakrit as a subject of atleast 100 marks.	Must have passed Intermediate/Higher Secondary (12 <sup>th</sup> class) level examination with minimum 60% marks or equal grade in overall subject and also 60% marks or equal grade in the Sanskrit/Pali/Prakrit for B.A.-1st year, for Graduation Second year & Third year, the candidate passed previous two semester/one year in each class and the students should have opted the Sanskrit/Pali/ Prakrit also in the current class.	Rs. 400/- p.m. for 10 months
4.	Acharya/M.A. Degree in Sanskrit/ Pali/Prakrit or equivalent Post-Graduation Degree.	Must have passed Graduation (B.A.-III) with at-least 60% marks or equal grade in the aggregate and also in concerned Sanskrit/Pali/Prakrit, for Post Graduation second year, the candidate passed previous two semester/one year in each class with minimum 60% marks or equal grade in graduation and the students should also pursue the Sanskrit/Pali/Prakrit in the current class.	Rs.500/- p.m. for 10 months
5.	Vidyawaridhi/Ph.D. or equivalent in Sanskrit/Pali/Prakrit.	Must have passed Acharya or M.A. in Sanskrit/Pali/Prakrit with at-least 60% marks in the aggregate. The registration of the candidate in Ph.D. course should be done before advertisement and not more than two years from the date of registration.	Rs.1500/- p.m. +Rs.2000/- per year as contingent for two years.

**Relaxation :-** Eligibility criteria for minimum percentage of marks for the candidates belonging to the categories mentioned below shall be as under :-

OBC	-	55%
SC/ST	-	50%

**Terms & Conditions:-**

- 1- Students must have opted for the subject i.e. Sanskrit/Pali/Prakrit in the present class of Study for which he /she has applied for the Scholarship. However, the grants of Scholarship will depend on the marks secured in the previous class of study in the concerned above subject and overall percentage.
- 2- The Scholarship will of the concerned Academic year tenable for one Academic year i.e (10 months) starting from the 1<sup>st</sup> July and ending with 30<sup>th</sup> April. As Scholarship is awarded only for one academic year on the basis of marks obtained in the previous examination, students have to apply every year afresh. It will not be renewed automatically.
- 3- The Scholarship for the Ph.D/Vidyavaridhi will be tenable for two full years i.e. 24 months subject to satisfactory progress report. The scholar shall send Utilization Certificate and Progress Report on the work done by the scholar through the Guide and Head of the Department, to enable the Sansthan to consider the Scholarship for the second year.
- 4- As per guidelines of the Scheme, a list of the students provisionally eligible for the award of scholarship will be sent through E-mail or By post, to the Principal/H.O.D./Dean of the concerned institution for verification.
- 5- The details of the students, verified by the Principal/H.O.D./Dean of the concerned institution shall be countersigned by the following respective authority:-

- |       |   |  |
|-------|---|--|
| (i)   | For Affiliated schools  | - Director of Education State/District Education Officer/ Block Education Officer. |
| (ii)  | For Govt. Schools   | -Principal of concerned School.  |
| (iii) | For Kendirya Vidyalaya  | - Principal of concerned School.   |
| (iv)  | For Govt. Colleges  | -Principal of the concerned College.   |
| (v)   | For affiliated Colleges                                       | -Registrar of the affiliating University.  |
| (vi)  | For affiliated institutions of<br>Rashtriya Sanskrit Sansthan | - Principal of affiliated institution.   |

Scholarship will be released, subject to receipt of the hard copy of verified details of the student by the respective Principal/HOD/Dean and countersigned by the above respective authority within the prescribed time frame.

- 6- **The details of the student countersigned by any authorities other than the above will not be entertained.**
- 7- The following scanned documents need to be uploaded in the appropriate place while submitting the application :-
  - The relevant mark-sheet.
  - The bank pass-book details where the applicant has an account in his/her name ( the first page of the passbook where details along with the photograph is available)
  - Aadhar card of the applicant.
  - Caste/Category certificate of reserved category (S.C/S.T/O.B.C/Divine Body(P.H.) from the appropriate authority in the name of the applicant.
- 8- Bank account should be linked with Aadhar number.
- 9- The Scholarship amount will be payable from the 1<sup>st</sup> July of every academic year. The amount will be released to the account of student(s) directly through E-transfer/NEFT and an intimation letter will be sent through E-mail or By post to the concerned Vidyalaya /institution/University for information.
- 10- If, a student is in receipt of any Scholarship / monetary benefit from any other institution during this academic year, will not be considered for award of any scholarship of the Sansthan under this Scheme. A student who accepts any remunerative job during the tenure of the Scholarship or undertakes to any other course of study which does not have component of Sanskrit will be disqualified from receiving this Scholarship.

- 11- Every student will be required to submit application form in the prescribed proforma indicating interalia :-
- (i) He/She is pursuing a course of study with Sanskrit/Pali/Prakrit as a regular student for which he/she has applied for the Scholarship.
  - (ii) He/She is not in receipt of any other Scholarship or Stipend from any other source.
  - (iii) He/She is not employed anywhere.
  - (iv) If the student is awarded Scholarship from any other source and/or is employed he/she will immediately inform the Sansthan through proper channel.
- 12- For awarding scholarship to the students, who have joined MA after completing B.Ed. the marks obtained by the applicant in BA class will be taken into account provided; there is no gap in the study. Likewise if a student joined Ph.D after completing B.Ed/M.Ed./M.Phil the marks obtained by his/her in M.A. will be taken into account for award of scholarship. It is also clarified that in case of Ph.D. scholars, the gap of not more than two years after M.A., can be allowed.
- 13- The student will be considered for scholarship, if he/she has undergone a course of not less than one year or two semesters in Sanskrit.
- 14- The marks obtained in Sanskrit as additional subject will also be considered for the purpose of scholarship.
- 15- The merit would be prepared by taking into account the overall grade/percentage plus grade/percentage obtained in Sanskrit. However for student of Sanskrit honours or traditional stream students, the overall grade/percentage obtained in Sanskrit Honours/Traditional streams will be taken for consideration.
- 16- In the column "State" as mentioned in the on-line application, the applicant is required to indicate the name of the State where he is studying .
- 17- Wherever, the Marks of the Modern Indian Language-1/2/3 is given in the mark sheets, Sanskrit language as a subject shall clearly be indicated
- 18- A student should apply for scholarship only once in the duration of every academic session.
- 19- The relaxation in the required percentage to the S.C., S.T. & OBC student will be given on furnishing of the caste certificate by his/her own name from the designated authorities. The caste certificate in the name of parents or any family members of the applicant will not be entertained.
- 20- The Applications received prior to the date of advertisement, submitted off line, incomplete, filled in old format, separately printed and received after due date will not be entertained
- 21- The total number of scholarships will depend on availability of the funds. The list of awardees will be prepared based on a cut off percentage of marks obtained by the students in their previous classes.
- 22- The Sansthan reserves the right to carry out any changes in these terms and conditions as it may consider necessary. The Sansthan also reserves the right to reject any application without assigning any reason. The decision of the Sansthan in this regard will be final and binding.

**Registrar**

# राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

मानित विश्वविद्यालय

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्त्वाधान में संचालित)

56-57, इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

जनकपुरी, नई दिल्ली-110058.

राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद् द्वारा 'ए' श्रेणी में प्रत्यायित

## संस्कृत पाठशालाओं/महाविद्यालयों/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में सत्र-2018-19 के दौरान अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्त्वाधान में संचालित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), नई दिल्ली द्वारा मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए उनसे निर्धारित प्रपत्र पर ऑनलाईन आवेदन आमन्त्रित करता है:-

(i) जो नियमित छात्र शैक्षणिक सत्र 2017-18 के दौरान संस्कृत/पाली/प्राकृत मुख्य या ऐच्छिक विषय सहित पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण हों और परम्परागत धारा में किसी मान्यता प्राप्त पाठशाला/संस्कृत महाविद्यालय/संस्कृत विश्वविद्यालय तथा आधुनिक धारा में मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में पूर्वमध्यमा(प्रथमवर्ष)/9वीं, पूर्वमध्यमा(द्वितीयवर्ष)/10वीं, उत्तरमध्यमा/प्राकृशास्त्री(प्रथमवर्ष)/11वीं, उत्तरमध्यमा/प्राकृशास्त्री(द्वितीयवर्ष)/12वीं, शास्त्री/बी.ए.(प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष), आचार्य/एम.ए.(प्रथम/द्वितीय वर्ष) तथा विद्यावारिधि/पी.एच.डी. अथवा तत्सम पाठ्यक्रमों में संस्कृत/पाली/प्राकृत भाषा को मुख्य विषय या ऐच्छिक विषय के रूप में नियमित अध्ययनरत/प्रवेशित हों।

(ii) छात्रवृत्ति के लिए निम्नलिखित अर्हता निर्धारित है:-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम जिसमें छात्रवृत्ति दी जाती है	पात्रता मानदण्ड	छात्रवृत्ति राशि
1.	कक्षा 9वीं तथा 10वीं/पूर्वमध्यमा या समकक्ष पाठ्यक्रम में संस्कृत/पाली/प्राकृत विषय का कम-से-कम 100 अंकों का एक पत्र	पिछली परीक्षा में संस्कृत/पाली/प्राकृत विषय में कम-से-कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड तथा 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड सभी विषयों को मिलाकर भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है (यथा 9वीं कक्षा के लिए 8वीं कक्षा की अर्हता तथा 10वीं कक्षा के लिए 9वीं कक्षा की अर्हता)। छात्र के द्वारा वर्तमान कक्षा में संस्कृत/पाली/प्राकृत विषय लेना भी आवश्यक है।	रूपये-250/- प्रतिमाह 10 माह के लिए
2.	कक्षा 11वीं तथा 11वीं/उत्तरमध्यमा/प्राकृशास्त्री या समकक्ष पाठ्यक्रम में संस्कृत/पाली/प्राकृत विषय का कम-से-कम 100 अंकों का एक पत्र	पिछली परीक्षा में संस्कृत/पाली/प्राकृत विषय में कम-से-कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड तथा 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड सभी विषयों को मिलाकर भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है (यथा 11वीं कक्षा के लिए 10वीं कक्षा की अर्हता तथा 12वीं कक्षा के लिए 11वीं कक्षा की अर्हता)। छात्र के द्वारा वर्तमान कक्षा में संस्कृत/पाली/प्राकृत विषय लेना भी आवश्यक है।	रूपये-300/- प्रतिमाह 10 माह के लिए
3.	शास्त्री/स्नातक/बी.ए./बी.ए. (आनर्स) या समकक्ष तीन वर्षों की अवधि के पाठ्यक्रम में संस्कृत/पाली/प्राकृत विषय का कम-से-कम 100 अंकों का एक पत्र	बी.ए. प्रथम वर्ष के लिए इण्टरमीडिएट/उच्च माध्यमिक शिक्षा (12वीं) परीक्षा में कम-से-कम 60 प्रतिशत अंक संस्कृत/पाली/प्राकृत अथवा समकक्ष ग्रेड तथा 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड सभी विषयों को मिलाकर उत्तीर्ण होना आवश्यक है। स्नातक द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक कक्षा में पिछले दो समेस्टर/एक वर्ष सभी विषयों में तथा संस्कृत/पाली/प्राकृत में 60 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है एवं छात्र के द्वारा वर्तमान में संस्कृत/पाली/प्राकृत भी लेना आवश्यक है।	रूपये-400/- प्रतिमाह 10 माह के लिए
4.	संस्कृत/पाली/प्राकृत में आचार्य/एम.ए. डिग्री या समकक्ष स्नातकोत्तर उपाधि	स्नातक (बी.ए. तृतीय) सहित सभी विषयों में 60 प्रतिशत अंक और संस्कृत/पाली/प्राकृत सम्बन्धित विषय में भी 60 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के लिए छात्र पिछले दो समेस्टर/एक वर्ष में 60 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा वर्तमान कक्षा में संस्कृत/पाली/प्राकृत विषय में अध्ययन होना चाहिए।	रूपये-500/- प्रतिमाह 10 माह के लिए
5.	संस्कृत/पाली/प्राकृत में विद्यावारिधि/पीएच.डी या समकक्ष	आचार्य या एम.ए. संस्कृत/पाली/प्राकृत विषय सहित कुल मिलाकर कम-से-कम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस विज्ञापन से पूर्व छात्र को पीएच.डी पाठ्यक्रम में पंजीकृत होना भी आवश्यक है और पंजीकरण की तिथि से दो वर्ष से अधिक न हो।	रूपये-1500/- प्रतिमाह + रूपये-2000/- प्रतिवर्ष कान्टीजेन्सी के रूप में दो वर्ष तक (24 माह के लिए)

छूट - आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित विद्यार्थियों के लिए अंक प्रतिशत में छूट देते होते हुए कम-से-कम निम्नलिखित अंकों की प्रतिशतता होना आवश्यक है :-

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी	-	55 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी	-	50 प्रतिशत
दिव्यांग श्रेणी	-	50 प्रतिशत

#### अनुबंधन तथा शर्तें -

- छात्रों द्वारा वर्तमान कक्षा में संस्कृत/पाली/प्राकृत विषयों में से कोई भी विषय लेना अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि छात्रवृत्ति प्रदान करने का आधार पिछली कक्षा में उक्त विषयों तथा सभी विषयों को मिलाकर प्रतिशतता तैयार होगी।
  - छात्रवृत्ति एक शैक्षणिक सत्र में 1 जुलाई से आगामी 30 अप्रैल तक (10 माह) देय होगी। छात्रवृत्ति पिछली कक्षा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए देय होगी। अतः छात्रों को हर वर्ष नये रूप से आवेदन करना होगा। इसका स्वतः प्रोन्नति नहीं होगा।
  - संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट प्राप्ति पर पीएच.डी./विद्यावारिधि हेतु छात्रवृत्ति दो पूर्ण वर्षों (24 माह) के लिए मान्य होगी। संस्थान द्वारा द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु शोधकर्ता को मार्गदर्शक/विभागाध्यक्ष के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र तथा कृत शोध कार्य का प्रगति प्रतिवेदन जमा करना होगा।
  - योजना के अनुसार अस्थायी चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सत्यापन हेतु अस्थायी अर्ह छात्रों की सूची ई-मेल/डाक से सम्बद्ध संस्थाओं के प्राचार्य/अध्यक्ष/डीन को प्रेषित की जाएगी।
  - अस्थायी रूप से चयनित छात्रों की सूची प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/डीन के द्वारा सत्यापित कर निम्नलिखित प्राधिकारियों से यथानियम प्रतिहस्ताक्षरित कराना होगा :-
    - मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए - राजकीय शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
    - राजकीय विद्यालयों के लिए - सम्बन्धित विद्यालय का प्राचार्य
    - केन्द्रीय विद्यालयों के लिए - सम्बन्धित विद्यालय का प्राचार्य
    - राजकीय महाविद्यालयों के लिए - सम्बन्धित महाविद्यालय का प्राचार्य
    - सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए - विश्वविद्यालय का कुलसचिव जहाँ से महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त है।
    - राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं के लिए - सम्बद्ध संस्था का प्राचार्य
- निर्धारित समय के भीतर सम्बन्धित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/डीन से अस्थायी रूप से चयनित छात्रों की सूची सत्यापित कर सम्बन्धित प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित मूल प्रति (हार्डकॉपी) संस्थान को प्राप्त होने के बाद ही छात्रवृत्ति जारी की जाएगी।
- ऊपर लिखित प्राधिकारियों के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित छात्रों का विवरण विचारणीय नहीं होगा।
  - आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निर्धारित स्थान पर अपलोड करें:-
    - आवश्यक अंकतालिका
    - जिस बैंक में आवेदक का खाता है उस खाते का विवरण (खाते की पासबुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें फोटो सहित विवरण उपलब्ध हो)
    - आवेदक का आधार कार्ड
    - प्राधिकारी द्वारा आवेदक के नाम पर जारी आरक्षित श्रेणी (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग) का प्रमाण पत्र।
  - बैंक खाता से आधार कार्ड का लिंक करना अनिवार्य है।
  - छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान छात्र के खाते में सीधे ई-स्थानान्तरण/एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किया जाएगा और उसी सूचना सम्बन्धित विद्यालय/संस्था/विश्वविद्यालय को ई-मेल/डाक द्वारा भेजी जाएगी।

10. यदि किसी छात्र ने इस शैक्षणिक सत्र में अन्य किसी संस्था से छात्रवृत्ति/आर्थिक सहायता प्राप्त की है तो उस छात्र को योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी। छात्रवृत्ति अवधि के दौरान यदि कोई छात्र पारिश्रमिक कार्य अथवा अन्य पाठ्यक्रम जिसमें संस्कृत का समावेश नहीं है, ऐसे छात्र भी इस छात्रवृत्ति पाने के लिए योग्य नहीं होंगे।
11. सभी छात्रों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा करना होगा जिसमें निम्नलिखित तथ्यों को होना आवश्यक है:-
  - (i) वह संस्कृत/पाली/प्राकृत पाठ्यक्रम का नियमित छात्र है जिस छात्रवृत्ति के लिए उसने आवेदन किया है
  - (ii) उसने किसी अन्य स्तोत्र के माध्यम से छात्रवृत्ति या वर्ती (स्टांपेड) प्राप्त नहीं की है।
  - (iii) वह कहीं पर कार्यरत नहीं है।
  - (iv) यदि छात्र ने किसी अन्य स्तोत्र से माध्यम से छात्रवृत्ति प्राप्त की है अथवा वह कार्यरत है तो उसे तत्काल संस्थान को उचित माध्यम से अवगत करना होगा।
12. जिस छात्र ने बी.एड. करने के पश्चात् एम.ए. में प्रवेश लिया है उनको छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु बी.ए. कक्षा में प्राप्तांक को आधार माना जाएगा। बशर्ते पढ़ाई में कोई अन्तराल नहीं हो। इसी प्रकार यदि कोई छात्र बी.एड./एम.एड./एम.फिल पूर्ण करने के बाद पी.एच.डी./विद्यावारिधि में प्रवेश लेता है तो छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु उसके एम.ए. में प्राप्तांक आधार होंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पीएच.डी./विद्यावारिधि शोधकर्ता का एम.ए. के पश्चात् अधिकतम दो वर्षों का अन्तराल ही माना जा सकता है।
13. छात्रवृत्ति की प्राप्ति हेतु एक वर्ष अथवा दो सत्रार्द्ध में संस्कृत/पाली/प्राकृत विषय सहित पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक है।
14. छात्र द्वारा संस्कृत/पाली/प्राकृत विषय में ऐच्छिक रूप से प्राप्तांको को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु विचार किया जाएगा।
15. सभी विषयों की कुल प्रतिशतता/ग्रेड तथा संस्कृत विषय में प्राप्तांक का प्रतिशत/ग्रेड- दोनों मिलाकर मेरिट तैयार होगी। संस्कृत आनर्स/परम्परागत धारा के छात्रों के कुल प्राप्तांको/ग्रेड/प्रतिशतता ही मेरिट के लिए विचारणीय होगी।
16. ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शाये गये राज्य के कॉलम में राज्य शब्द का अर्थ जहाँ पर आवेदक अध्ययनरत है उस राज्य का उल्लेख करना होगा।
17. जहाँ कही अंक पत्र में आधुनिक भारतीय भाषा 1/2/3 के रूप में अंक दर्शाये होंगे वहाँ पर संस्कृत भाषा विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।
18. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की अवधि के दौरान छात्र केवल एक बार ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें।
19. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग छात्रों द्वारा प्राप्तांको में छूट पाने के लिए निर्धारित प्राधिकारी द्वारा छात्र अपने स्वयं के नाम जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। माता-पिता अथवा परिवार अन्य किसी सदस्य के नाम जारी जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा।
20. विज्ञापन से पूर्व, ऑफ लाईन, अपूर्ण, पुराने फॉरमेट, अलग से मुद्रित और निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
21. सर्वकार द्वारा धन की उपलब्धता के आधार पर कुल छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएगी। छात्रों द्वारा पिछली कक्षा के प्राप्तांको की कट-ऑफ प्रतिशतता के आधार पर छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की सूची तैयार की जाएगी।
22. आवश्यकतानुसार अनुबंधन एवं शर्तों में किसी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा। किसी आवेदन को निरस्त करने का अधिकार भी संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा। इस सम्बन्ध में संस्थान का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

कुलसचिव